

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

दिल्ली की स्लीपर बस में विवाहित महिला से रेप, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

Sanket Morankar

Published on 14 May 2026



दिल्ली : देश की राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में एक निजी स्लीपर बस में विवाहित महिला से दुष्कर्म किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस मामले में बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना 12 मई को हुई थी। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिस स्लीपर बस में यह वारदात हुई, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

सूत्रों के मुताबिक पीड़िता विवाहित है और उसके तीन बच्चे हैं। पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है और मेडिकल जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जांच अधिकारियों के अनुसार महिला बस में यात्रा कर रही थी, तभी यह घटना हुई। हालांकि घटना किन परिस्थितियों में हुई, बस किस रुट पर चल रही थी और उस समय बस में अन्य यात्री मौजूद थे या नहीं, इस बारे में फिलहाल पुलिस ने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है।

दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। बस से जुटाए गए सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट बेहद अहम साबित होंगी।

जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वारदात के समय बस चल रही थी या नहीं और बस में अन्य लोग मौजूद थे या नहीं। पुलिस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर मजबूत केस तैयार करने में जुटी हुई है। फिलहाल आरोपियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

इस घटना के बाद एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने

लगे हैं ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.